''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सिं. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-65/2005/20.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भरती तथा पदोन्नति नियम 1982 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. जहां-जहां शब्द ''आयुक्त लोक शिक्षण'' प्रयुक्त हुए हैं, उसके स्थान पर शब्द ''संचालक, लोक शिक्षण''.

2. अनुसूची चार में शीर्ष ''अ-प्रशासन'', अनुक्रमांक 15 के अंतर्गत समस्त कॉलम की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :—

1	2	3	4	5	6
15.	उच्च श्रेणी शिक्षक	व्याख्याता	5 वर्ष	1. संचालक, लोक शिक्षण	अध्यक्ष
				2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्.	सदस्य
				3. संयुक्त संचालक, स्थापना	सदस्य
				4. उप संचालक, स्थापना	सचिव

Raipur, the 25th August 2005

NOTIFICATION

No. F 1-65/2005/20.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Education Service (School Education Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1982, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

1. For words "Commissioner Public Instructions" wherever they occur the words "Director Public Instructions".

2. For the head "A-Administration" in schedule iv, the relating to all column the entries under serial number 15 the following entries shall be substituted :—

1	2	3	4	5	6
15.	Upper Division Teacher.	Lecturer	5 years	1. Director, Public Instructions.	Chairperson
				2. Director, State Council of Education, Research and Training.	Member
				3. Joint Director, Establishment.	Member
				4. Deputy Director, Establishment.	Secretary

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.